

प्रारूप - नौ

चालान

(नियम 9 देखिये)

मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में भारत के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976

(भा-2- भारत और यात्रियों र कर- स्थानीय क्षेत्र (म.प्र.) में भारत के प्रवेश पर कर)

शासकीय खजाना / उप खजाना / स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा..... में

सादत प्रवेश कर का चालान

किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया	उस व्यापारी का नाम, पता, रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा भागला क्रमांक, यदि कोई हो, जिसकी ओर से धन का भुगतान किया गया है।	किस मद में भुगतान किया गया	रकम (अंकों में भरी जाये)
(1)	(2)	(3)	(4)
		(क) से तक की कालावधि के लिये विवरणी के अनुसार प्रवेश कर (ख) से तक की कालावधि के लिये कर निर्धारण के पश्चात् भांगा गया प्रवेश कर (ग) शास्ति (घ) प्रशमन धन	रु. प.

कुल रुपये (अंकों में) (शब्दों में)

दिनांक व्यापारी व जमा करने वाले के हस्ताक्षर

(खजाना या स्टेट बैंक के उपयोग के लिये)

1. रुपये (अंकों में) रुपये

(शब्दों में) का भुगतान प्राप्त हुआ।

2. प्रविष्टि की दिनांक

कोषपाल लेखापाल

खजाना अधिकारी / एजेंट या मैनेजर

प्रारूप - नौ

चालान

(नियम 9 देखिये)

मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में भारत के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976

(भा-2- भारत और यात्रियों र कर- स्थानीय क्षेत्र (म.प्र.) में भारत के प्रवेश पर कर)

शासकीय खजाना / उप खजाना / स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा..... में

सादत प्रवेश कर का चालान

किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया	उस व्यापारी का नाम, पता, रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा भागला क्रमांक, यदि कोई हो, जिसकी ओर से धन का भुगतान किया गया है।	किस मद में भुगतान किया गया	रकम (अंकों में भरी जा
(1)	(2)	(3)	(4)
		(क) से तक की कालावधि के लिये विवरणी के अनुसार प्रवेश कर (ख) से तक की कालावधि के लिये कर निर्धारण के पश्चात् भांगा गया प्रवेश कर (ग) शास्ति (घ) प्रशमन धन	रु.

कुल रुपये (अंकों में) (शब्दों में)

दिनांक व्यापारी व जमा करने वाले के हस्ताक्षर

(खजाना या स्टेट बैंक के उपयोग के लिये)

1. रुपये (अंकों में) रुपये

(शब्दों में) का भुगतान प्राप्त हुआ।

2. प्रविष्टि की दिनांक

कोषपाल लेखापाल

खजाना अधिकारी / एजेंट या मैनेजर